[1][Rule 138B : Verification of documents and conveyances

(1) The Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill in physical or electronic form for all inter-State and intra-State movement of goods.

(2) The Commissioner shall get Radio Frequency Identification Device readers installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out and verification of movement of vehicles shall be done through such device readers where the e-way bill has been mapped with the said device.

(3) The physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorised by the Commissioner or an officer empowered by him in this behalf:

Provided that on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining necessary approval of the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf.**]**

---

1 Rule 138B substituted by Noti. No. 12/2018–Central Tax, dt. 07-03-2018 except Rule 138(7) provisions have been made effective from 01-04-2018 by Noti. No. 15/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018.

Earlier this rules has been amended/inserted by:

1. Noti. No. 27/2017–Central Tax, dt. 30-08-2017.
2. Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018.

[1][नियम 138ख : दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन

(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, समुचित अधिकारी को मालों के सभी अन्तर्राज्यिक और अंतराज्यीय संचलन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप में ई–वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी वाहन को रोकने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवर्ती पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और ज्ञानो के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई–वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परन्तु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 12/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138, 138क से 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये है।
पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये
1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।